3730
31.7.13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– पूर्व में निष्पादित भूमि विवाद वाद सं0– 57/2012 में पारित आदेश के क्रियान्वयन हेतु दाखिल इजराय वाद सं0– 05/2013

श्री महेन्द्र साहु बनाम हरिहर साहु एवं तीन अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया। विदित होता है कि प्रस्तुत इजराय वाद आवेदक महेन्द्र साहु पिता– स्व0 लक्ष्मण साहु निवासी मुहल्ला– रत्नोपट्टी पोस्ट– लालबाग वार्ड नं0 17 पुराना, 9 नया थाना– नगर, दरभंगा के द्वारा दिनांक 05.03.2013 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया गया। आवेदक के द्वारा अनुरोध किया गया कि इस न्यायालय में भूमि विवाद सं0– 57/2012 की कार्रवाई इनके एवं विपक्षी हरिहर साहु पिता– भुट्टा साहु एवं अन्य के बीच चली थी जिसमें उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 27.07.2012 को पारित आदेशानुसार विपक्षीयों को आदेशित किया गया कि वे इनके दीवाल के निर्माण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करें, जिसकी एक प्रति न्यायालीय ज्ञापांक 1387/दिनांक 09.10.2012 के माध्यम से थानाध्यक्ष, नगर दरभंगा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई, परन्तु थाना से इन्हें कोई सुरक्षा मकान की दीवाल जोड़ने में नहीं मिली। आवेदक के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि विपक्षीयों ने इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अब तक कोई अपील दायर नहीं किया और अभी भी इनके मकान की दीवाल जोड़नें में अनावश्यक रूप से बाधा डाल रहे हैं। आवेदक ने बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा– 15 का हवाला देते हुए पूर्व में वाद सं0– 57/2012 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2012 के क्रियान्वयन हेतु समुचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया। आवेदक के इजराय वाद पर सुनते हुए विपक्षीयों को दिनांक 12.03.2013 के आदेशानुसार दिनांक 01.04.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई, विपक्षीगण उपस्थित हुए तथा दिनांक 05.07.2013 को आवेदन दिया कि विवादित भूमि के निमित स्वत्व वाद सं0 253/13 दिनांक 04.07.2013 को दाखिल किया गया है जो सब जज नं0– 1 दरभंगा के न्यायालय में लंबित है, अतएव अनुरोध किया गया कि आवेदक को आदेशित किया जाय कि वे स्वत्व वाद में Appear हों तथा स्वत्व वाद के निष्पादन तक क्रियान्वयन रोका जाय।	

21/12/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	विपक्षी के आवदेन के खिलाफ आवेदक के द्वारा दिनांक 25.07.2013 को प्रत्युत्तर दाखिल करते हुए अनुरोध किया गया कि विपक्षी का आवेदन विधि विरूद्ध हैं अनुरोध किया गया कि विपक्षी का आवेदन विधि विरूद्ध है अतएव विपक्षी का आवेदन को निरस्त कर किया जाय तथा दिनांक 27.02.2012 के आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। विपक्षी ने स्वत्व वाद सं0– 253/2013 के संदर्भ में ऐसा कोई भी प्रमाण दाखिल नहीं किया है जिससे यह प्रतीत हो कि वाद सं0– 57/12 में निहित भूमि के निश्वत स्वत्व वाद दाखिल है। जहाँ तक आवेदक के इजराय आवेदन का प्रश्न है तो इससे स्पष्ट है कि विपक्षी वाद सं0– 57/12 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तथा आवेदक का मकान का दीवाल नहीं जोड़ने दे रहें हैं विधि का सर्व मान्य सिद्धान्त है कि किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश तब तक प्रभावी है जबतक कि किसी अपीलीय अथवा वरीय न्यायालय द्वारा उसे अपास्त नहीं किया जाता। सुनने से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2012 को वाद सं0 57/12 में पारित आदेश अपीलीय था तथा भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा– 23 के अधीन आदेश से असंतुष्ट पक्षकार को आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए थी जो इस वाद के विपक्षीयों ने ऐसा नहीं किया और विपक्षी ने ऐसे किसी भी आदेश का जिक्र नहीं किया है जिससे कि इस इजराय वाद को स्थगित या संचिकास्त किया जा सके। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा कागजातों के गहण अध्ययन तथा अवलोकनोपरान्त यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर Title Suit no.- 253/13 दायर किया जा चुका है जो Sub judge 1, दरभंगा के न्यायालय में मामला लंबित है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित किया जाना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत की जाती है। तथा वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है। वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में लंबित मामला में अपना पक्ष करें। ''अभिलेख संचिकास्त करें'' **लेखापित एव शुद्धित** 21/12/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 21/12/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	